कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांकः–3152/22–1 सहारनपुर, दिनांक ~~मई~~ 03-जून 2014

गैर प्रकाष्ठ वन उपज की गोला धातु की लाटो की अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग की (गैर प्रकाष्ठ वन उपज) की गोला धातु की दो लाटों क्रमशः 12/2014–15 बडकला रेंज व 13/2014–15 शाकुम्भरी रेंज में 01 जौलाई 2014 से 30 जून 2015 तक एक वर्ष के लिए ब्रिकी हेतु निविदा **दिनांक 24.06.2014** को अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, 82 राजविहार कालौनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर में आमन्त्रित की जाती है। निविदा कार्यालय में रखे निर्धारित बॉक्स में ही डाले जायेगे अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदाऐं अपरान्ह 4.00 बजे गठित समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेगे। लिफाफे के ऊपर गोला धातु की लाट संख्या, जिसके लिए कय का निविदा दिया जा रहा है, लिखा होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक, यदि प्रर्याप्त निविदाऐं प्राप्त नही होती है, तो लाटों को नीलाम द्वारा विकय किया जायेगा। जिसकी तिथि अलग से सूचित की जायेगी। निविदा पत्र किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना होगाः–

1. निविदा निर्धारित प्रारूप पर देना होगा, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त करना होगा। प्रत्येक लाट की निविदा अलग लिफाफे में देनी होगी।
2. लाट संख्या 12 के लिए रूपये 2,00,000.00 रू0 दो लाख तथा लाट सं0 13 के लिए रूपये 50,000.00 रू0 पचास हजार बन्धक धनराशि एफ.डी.आर के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक हो, होना आवश्यक है।
3. निविदा दाता को स्थाई निवास प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रमाणित प्रति।
4. निविदा दाता का चरित्र प्रमाण पत्र, जो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की प्रमाणित प्रति।
5. निविदा दाता के व्यापार कर विभाग से रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिकी में सामान्य नियम लागू होगे।
2. निविदा निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित रहेगा।
3. किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एंव मान्य होगा।
4. सेना द्वारा फायरिंग के अनुबन्ध की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस अनुबन्ध की स्वीकृति स्थाई नही है। अतः सेना द्वारा फायरिंग नही की जाती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. लाटों के विकय होने के तुरन्त बाद निर्धारित अवधि के लिये समस्त धनराशि सभी करो सहित जमा करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा मे जमा धनराशि वापस नही होगी। विकय मूल्य के अतिरिक्त सभी कर संबंधित विभाग की दरो के आधार पर जमा करना होगा।
6. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय के निर्देशानुसार 01 अप्रैल से 15 जौलाई तक वन क्षेत्रों मे सेना द्वारा युद्धभ्यास प्रतिबन्धित रहेगा।
7. लाट में कार्य के समय (स्क्रेप) खोखे को उठाते समय यदि विस्फोट की कोई घटना होती है तो उसके लिए संबंधित ठेकेदार या उसका कारिन्दा की जिम्मेदारी होगी, विभाग उत्तरदायी नही होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

Compaq5/R.C./Gola Dhatu Nilaam 2014-15

शिवालिक वन प्रभाग के वर्ष 2014–15 के नीलाम द्वारा बेचे जाने वाली गैर प्रकाष्ठ वन उपज गोला धातु की लाटों की विक्रय सूची

लौट संख्या	वन उपज	रेंज का नाम	वन खण्ड	खोल का नाम	पैदावार	कार्य अवधि	निकटतम सडक	अन्य विवरण
12/2014–15	गोला धातु	बडकला,	खैरोवाली पू0 खैरोवाली प0 चपडी	खैरोवाली बीट चपडी बीट	गोलो के टुकडे लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल आदि।	30–06–2015 तक	बा0बाग सफीपुर मोटर मार्ग बा0बाग स0पुर या चकरौता रोड	1 फायरिंग के दौरान गोलो के टुकडो को एकत्र करना वर्जित है। 2 गोलो के टुकडो को एकत्र करने में किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति का विभाग उत्तरदायी नही होगा। 3 टुकडो को खोदकर निकालना वर्जित है। 4 गोलो के टुकडो को एकत्र करने के लिए प्रत्येक आदमी के पास वन विभाग द्वारा सत्यापित आज्ञा पत्र होना अनिवार्य है।
13/2014–15	गोला धातु	शाकुम्भरी	बडकला प0 बडकला पू0	बडकला बीट संहसरा कोठरी	–	30–06–2015 तक	वाया नागल, बेहट शाकु0 मार्ग	–– तदैव ––

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर